AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA ON EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL PASSPORTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

Hereafter referred to singularly as the "Contracting Party" and collectively as the "Contracting Parties"

CONSIDERING the interest of both countries to strengthen their friendly relations, and

DESIRING to facilitate the entry of the citizens of the Republic of India and the citizens of the Republic of Ghana to each other's territory;

Who are holders of diplomatic or official passports,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

- 1. A citizen of either Contracting Party, who is in possession of a valid diplomatic or official passport, shall be permitted to enter into, exit from and transit through the territory of the other Contracting Party through their respective international points of entry/exit without visas.
- 2. A citizen of either Contracting Party, holding the said passport shall be allowed to stay in the territory of the other Contracting Party for the maximum period of ninety (90) days without a visa.

ARTICLE 2

- 1. A citizen of either Contracting Party, who is assigned as a member of the diplomatic or consular staff or as representative of his/her country in an international organization located in the territory of the other Contracting Party and is in possession of a valid diplomatic or official passport, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the other Contracting Party.
- 2. The conditions enumerated in paragraph 1 of this Article shall also apply to the following:
- I. Spouse;
- II. Children; and
- III. Dependent parents of the diplomatic or consular staff

ARTICLE 3

- 1. A citizen of either Contracting Party, who is in possession of a valid diplomatic or official passport and has to attend a meeting or conference convened by an international organization or Government, in the territory of the other Contracting Party, shall not be required to obtain a visa to enter and stay in the territory of the other Contracting Party.
- 2. The holders of diplomatic or official passports of either Contracting Party who are employed by an international organization, body, agency or any other such entity, would be required to obtain visa for their entry into the territory of the other Contracting Party for official or private visits.

ARTICLE 4

- 1. Each Contracting Party reserves the right to refuse the entry into, or shorten the stay in its territory, of any citizen of the other Contracting Party, whom it may consider undesirable.
- 2. If a citizen of one Contracting Party loses his/her passport in the territory of the other Contracting Party, he/she shall inform the competent authorities of the host country for appropriate action. The diplomatic Mission or Consulate concerned will issue a new passport or travel document to its citizen and inform the concerned authorities of the host Government.

ARTICLE 5

Citizens of either Contracting Party, being holders of diplomatic or official passports shall abide by the laws and regulations of the other Contracting Party while crossing its frontier and throughout the duration of their stay in its territory.

ARTICLE 6

- 1. For the purposes of this Agreement, each Contracting Party shall transmit to the other, through diplomatic channels, specimens of its respective passports, including a detailed description of such documents currently used, at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.
- 2. Each Contracting Party shall transmit to the other through diplomatic channels, specimen of its new or modified passports, including a detailed description of such documents at least thirty (30) days before they are brought into force.

ARTICLE 7

Each Contracting Party reserves the right for reasons of security, public order of public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement, which shall take effect immediately after

notification has been given to the other Contracting Party through diplomatic channels.

ARTICLE 8

Either Contracting Party may request in writing, through diplomatic channels, a revision or amendment of the whole or part of this Agreement. Any revision or amendment, which has been agreed to by the Contracting Parties, shall come into effect on a date to be mutually agreed upon and shall accordingly form part of this Agreement.

ARTICLE 9

Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of the Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties without reference to any third party or an international tribunal.

ARTICLE 10

This Agreement shall enter into force on a date to be mutually agreed upon by the Contracting Parties, which shall be notified through the exchange of Diplomatic Notes. This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party by notification through diplomatic channels, which shall enter into force ninety (90) days after the date of such notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Accra on this thirteenth (13) day of June in the year two thousand and sixteen in two (2) originals; in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Name: Dr. Jitendra Singh

Designation: Minister of State Prime Ministers' Office, Government of India New Delhi FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

Name : Hanna Serwaah Tetteh

Designation: Minister of Foreign Affairs & Regional Integration, Government of Ghana Accra भारत गणराज्य की सरकार तथा घाना गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट के संबंध में करार।

भारत गणराज्य की सरकार और घाना गणराज्य की सरकार,

जिन्हें इसके बाद पृथक रूप से "संविदाकारी पक्षकार" और साम्हिक रूप से "दोनों संविदाकारी पक्षकार" कहा गया है,

इस पर विचार करते हुए कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाना दोनों देशों के हित में होगा,

भारत गणराज्य और घाना गणराज्य के नागरिकों, जो राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारक हों, के एक-दूसरे के भू-क्षेत्र में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-१

- 1. किसी संविदाकारी पक्षकार के वैध राजनियक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट धारक नागरिकों को अन्य संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में उनके संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश/निकासी बिन्दुओं के माध्यम से बिना वीजा के प्रवेश करने, निकलने और पारगमन करने की अनुमित होगी।
- 2. किसी एक संविदाकारी पक्षकार के उक्त पासपोर्ट धारकों को अन्य संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में बिना वीजा अधिकतम नब्बे (90) दिनों तक प्रवास की अनुमित होगी।

अनुच्छेद -2

1. संविदाकारी पक्षकार के किसी भी नागरिक, जिसे दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में स्थित किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसके देश के राजनियक अथवा कौंसुली स्टाफ के सदस्य अथवा प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार सौंपा गया हो और जिसके पास वैध राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट हो, के लिए दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश से पहले वीजा प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

- 2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तें निम्निलिखित पर भी लागू होंगीः
- (i) पति/पत्नी;
- (ii) बच्चे; तथा
- (iii) राजनयिक अथवा कौंसुली कर्मचारी के आश्रित माता/पिता

अनुच्छेद ३

- 1. किसी संविदाकारी पक्षकार का नागरिक जो एक वैध राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट धारक है तथा जिसे अन्य संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा सरकार द्वारा आयोजित बैठक अथवा सम्मेलन में भाग लेना है, को अन्य संविदाकारी पक्षकार के भ्भाग में प्रवेश करने और रहने के लिए वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार के राजनयिक पासपोर्ट धारकों, जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निकाय, एजेंसी अथवा ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा नियुक्ति दी गई हो, को सरकारी अथवा निजी यात्रा हेतु दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वीजा प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद-४

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार के ऐसे नागरिक को प्रवेश देने से मना करने अथवा अपने क्षेत्र में प्रवास की अवधि कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसे वह अवांछित व्यक्ति मानता हो। 2. यदि दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्षकार का कोई नागरिक दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में अपना पासपोर्ट खो देता है, तो वह उपयुक्त कार्रवाई के लिए मेजबान देश के सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करेगा। संबंधित राजनयिक मिशन अथवा कौंसुलावास अपने नागरिक को एक नया पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करेगा और मेजबान सरकार से संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद-5

राजनयिक अथवा आधिकारिक पासपोर्ट धारक होने के नाते किसी भी संविदाकारी पक्षकार का नागरिक अन्य संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र की सीमा पार करते समय अथवा उनके क्षेत्र में रहने के दौरान अन्य संविदाकारी पक्षकार के कानूनों और विनियमों का पालन करेगा।

अनुच्छेद-६

- 1. इस करार के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार के लागू होने से कम से कम तीस (30) दिन पहले राजनियक माध्यमों से अपने-अपने पासपोर्टों की नमूना प्रतियां और वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे ऐसे दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा प्रेषित करेगा।
- 2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनयिक माध्यम से अपने अपने नए अथवा संशोधित पासपोटों की नमूना प्रतियां और ऐसे दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा, उन्हें लागू किए जाने से कम से कम तीस(30) दिन पहले प्रेषित करेगा।

अनुच्छेद-७

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार सुरक्षा, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर इस करार के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से पूर्णतः अथवा अंशतः स्थगित कर सकता है और यह राजनियक माध्यम से दूसरे संविदाकारी पक्षकार को अधिसूचित किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

अनुच्छेद-8

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में इस करार को पूर्णतः अथवा अंशतः समीक्षा अथवा संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसी कोई भी समीक्षा अथवा संशोधन, जिस पर दोनों पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की हो, परस्पर सहमति की तारीख से प्रभावी होगा और तदनुसार इस करार का हिस्सा होगा।

अनुच्छेद-9

इस करार के प्रावधनों के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद अथवा विवाद का निपटारा किसी तीसरे पक्ष अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को संदर्भित किए बिना संविदाकारी पक्षकारों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से परामर्श अथवा बातचीत के जरिए किया जाएगा।

अनुच्छेद-10

यह करार दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत तारीख से प्रभावी होगा और इस तारीख को राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान के जिएए अधिसूचित किया जाएगा। यह करार अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा और कोई भी संविदाकारी पक्षकार राजनयिक माध्यम से लिखित अधिसूचना जारी करके इसे समाप्त कर सकता है और यह समाप्ति ऐसी अधिसूचना जारी करने के नब्बे (90) दिनों के बाद लागू हो जाएगा।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2016 के जून माह के 13वें दिन अक्रा में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। विवेचन में कोई भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से

घाना गणराज्य की सरकार

की ओर से

\ d - 4 | 21 E

नामः डॉ. जितेंद्र सिंह

राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री कार्यालय

भारत सरकार

माननीय हन्नाह सर्रवाह तेट्टेह

विदेश एवं क्षेत्रीय एकीकरण

मंत्री

घाना गणराज्य की सरकार